दूरसंचार विभाग
प्रेस रिलीज

दिनांक:31 दिसंबर, 2009

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सेवा में उपभोक्ता द्वारा किसी सेवा क्षेत्र में, चाहे वह किसी भी मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, किसी एक अभिगम सेवा प्रदाता को छोड़कर किसी दूसरे अभिगम सेवा प्रदाता की सेवा प्राप्त करने पर या किसी एक टेक्नोलॉजी का उपयोग बंद करके उसी या किसी दूसरे अभिगम सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जा रही किसी दूसरी मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग शुरू करने पर उसके मौजूदा टेलीफोन नंबर में कोई बदलाव नही होता।

आम जनता की सूचना हेतु यह उल्लेख किया जाता है कि एमएनपी सेवा लागू करने की दृष्टि से संपूर्ण देश को दो जोनों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक जोन में एमएनपी प्रचालक को लाइसेंस जारी किए गए हैं। देश के दोनों जोनों में एमएनपी सेवा प्रचालकों द्वारा केंद्रीकृत डेटाबेस, पूछी गई जानकारियों को उपलब्ध कराने का तंत्र और क्लियरिंग हाऊस स्थापित करना होगा ताकि एमएनपी सेवा लागू करने के पश्चात अभिगम (बुनियादी/मोबाइल) सेवा प्रदाताओं और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) प्रचालकों द्वारा कॉलों का सही मार्गीकरण और समापन हो। एमएनपी सेवा लागू करने से पहले देश में पूरे नेटवर्क को तैयार करना होगा और जाँचना-परखना होगा। इस प्रयोजनार्थ प्रचालकों द्वारा विभिन्न क्रियाकलाप किए जाने हैं जिनमें उन्हें अपने मौजूदा नेटवर्कों को तकनीकी दृष्टि से संवर्धित करना और अपग्रेड करना, अपेक्षित संस्थापन सत्यापन जांच करना, एमएनपी प्रचालकों के साथ संपर्क बनाए रखना और अंतः प्रचालक परीक्षण करना शामिल हैं। जब सेवा प्रदाता अपने अतःप्रचालक परीक्षण परिणामों को तैयार कर लें तो दूरसंचार विभाग द्वारा एमएनपी सेवा लागू करने से पहले सभी सेवा क्षेत्रों में सभी संबंधित सेवा प्रदाताओं के नेटवर्कों का एक पूर्ण स्वीकार्यता परीक्षण किया जाएगा।

मौजूदा समय सीमा के अनुसार पहले चरण में 31 दिसंबर 2009 तक एमएनपी सेवा महानगरों और श्रेणी 'क' सेवा क्षेत्रों में लागू की जानी थी। दूरसंचार विभाग द्वारा संबंधित सेवा प्रदाताओं के साथ एमएनपी सेवा लागू करने के संबंध में उनकी तैयारी का आकलन करने के लिए अनेक बैठकें की गईं। विभिन्न सेवा प्रदाताओं की इस दिशा में प्रगति नोट की गई और यह पाया गया कि जबकि कुछ अभिगम (बुनियादी/मोबाइल) और आइएलडी सेवा प्रदाताओं ने अपने नेटवर्क को तकनीकी दृष्टि से अपग्रेड और संवर्धित कर लिया है और कुछ ने एमएनपी प्रचालकों के साथ वास्तविक संपर्क स्थापित कर लिए हैं वहीं कुछ अन्य अभी भी इस दिशा में कार्य कर रहे है। इन कार्यों में समय लगेगा। संबंधित सेवा प्रदाताओं को विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा समय-सीमा दी जा रही है।

सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब पूरे देश में एक साथ एमएनपी सेवा लागू करने के लिए समय सीमा को 31 मार्च 2010 तक बढ़ा देने का निर्णय लिया है।